उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या- 2907/नौ-4-14-11ज/2007
लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2014

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश, नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1959) की धारा 112-क और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-69-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2010 के संबंध में सरकारी अधिसूचना संख्या-4628/नौ-4-10-11ज/2007 दिनांक-21 सितम्बर, 2010 को आरम्भ से विखंडित करते हैं और निदेश देते है कि उक्त नियमावली के अधीन की गयी समस्त कार्यवाही अकृत और शून्य समझी जायेगी, उक्त अधियियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-3644/नौ-4-13-11ज/2007, दिनांक-04 जून, 2014 पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

आज्ञा से,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

<u>संख्या-2907(1)/नौ-4-14-11ज/2007 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतर सहित संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक-10-11-2014 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 100 प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-2907(2)/नौ-4-14-11ज/2007 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in